

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 1973/आषाढ़ 7, 1895
No. 153] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1973/ASADHA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 28th June 1973

G.S.R. 327(E)/Ess.Com/Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Price Determination for 1972-73 Production) Order, 1972, namely:—

1.(1) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 1972-73 Production Fourth Amendment Order, 1973.

(2) It shall come into force at once.

2. In Schedule I to the Sugar (Price Determination for 1972-73 Production) Order, 1972 the item "East U.P." and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"East U. P. excepting the areas in which the U. P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Khadda, P. O. Rajabazar Khadda, District Deoria and Lakshmi Devi-Sugar Mills Private Ltd., Chhitauni P. O., District Deoria.	159.41	158.26	157.71	158.41	157.41	156.91

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Area in which the U. P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Khadda, P. O. Rajabazar Khadda, District Deoria.	153.49	152.34	151.79	152.49	151.49	150.99
Area in which Lakshmi Devi Sugar Mills Private Ltd., Chhitauni P.O., District Deoria.	153.06	151.91	151.36	152.06	151.06	150.56"

[No. 2-4/72-S.PY.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1973

सा० का० नि० 327 (अ)/आवश्यक वस्तु/शर्करा.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3 ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, शर्करा (1972-73 के उत्पादन के लिए कीमत अवधारण) आदेश, 1972 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम शर्करा (1972-73 के उत्पादन के लिए कीमत अवधारण) चौथा संशोधन आदेश, 1973 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. शर्करा (1972-73 के उत्पादन के लिए कीमत अवधारण) आदेश, 1972 की अनुसूची 1 में "पूर्वी उत्तर प्रदेश" मद और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"पूर्वी उत्तर प्रदेश, उस क्षेत्र को छोड़ कर, जिसमें यू० पी० स्टेट शूगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूनिट खड्डा, डाकघर राजा-बाजार खड्डा, जिला देवरिया और लक्ष्मी देवी शूगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, छितीनी डाकघर, जिला देवरिया, स्थित हैं।	159.41	158.26	157.71	158.41	157.41	156.91

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वह क्षेत्र, जिसमें यू०पी० स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड, यूनिट खड्डा, डाकघर, राजा- बाजार खड्डा, जिला देवरिया, स्थित है ।	153.49	152.34	151.79	152.49	151.49	150.99	
वह क्षेत्र, जिसमें लक्ष्मी देवी शूगर मिल्स, प्राइवेट लिमिटेड, छितौनी डाकघर, जिला देवरिया ।	153.06	151.91	151.36	152.06	151.06	150.56	

[सं० 2-4/72-एस० पी० वार्ड०]

एस० बी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

